

सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
की  
65वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) का

कार्यवृत्त

दिनांक : 08.04.2022

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 65/01 (परिचालन के माध्यम से)

विषय:- राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.22 के एजेन्डा आईटम संख्या-64/11(संलग्नक-1) पर निम्न प्रस्ताव रखा गया था -

“आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर मण्डल/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2021 तथा 28.09.2021 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार जुबली पार्क नेहरू मार्केट की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जुबली पार्क क्षेत्र और अम्बाला रोड बस स्टैण्ड की भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अन्तर्गत खुला क्षेत्र है। इसके भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। तदोपरान्त प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

तदक्रम में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2021 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा के क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-1933/स0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर को कतिपय बिन्दुओं के अनुसार सूचनायें/विवरण सम्पूर्ण अभिलेखों सहित प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-353/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से जुबली पार्क सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग एवं कार्यालय पत्र संख्या-356/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से दिल्ली बस स्टैण्ड अम्बाला रोड, सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1- जुबली पार्क के खसरा नं0-959 की 7000.00 वर्ग मी0 भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से मानकमऊ में गौरी शंकर इण्टर कॉलेज के सामने खसरा नं0-364 की लगभग 7480.00 वर्ग मी0 (खुदान) की भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2- दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, सहारनपुर के खसरा नं0-1174 की 8000.00 वर्ग मी0 भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से ग्राम चकहरेटी में खसरा नं0-80म0 की लगभग 6150.00 वर्ग मी0 (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा नं0-194 क्षेत्रफल 2560.00 वर्ग मी0 (नवीन परती) की भूमि सहित कुल 8710.00 वर्ग मी0 भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।



३



उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आवश्यकता के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक मण्डल द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में दिए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित निर्माणों हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समित/स.नि.(के.)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त के प्रस्तर (1.8) के अनुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।”

उक्त प्रस्ताव को मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया था (संलग्नक-2)।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के.)/2021-22 दिनांक 21.12.201(संलग्नक-3) के साथ संलग्न कार्यवृत्त के प्रस्तर (1.8) के क्रम में बोर्ड द्वारा सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि० द्वारा प्रस्तावित उक्त परियोजनाओं के सापेक्ष आवश्यक भूउपयोग परिवर्तन को महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप की प्रदर्शनी के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रदर्शित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया था। आपत्ति/सुझाव हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली महायोजना में उक्त भूउपयोग परिवर्तन को समायोजित किया जा सकेगा।

अवगत कराना है कि अमृत योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी०आई०एस० बेस्ड महायोजना-2031 तैयार किये जाने की कार्यवाही “ऑल्मण्डज ग्लोबल इन्फ्रा०, कन्सलटेन्ट लि०” के माध्यम से प्रचलित है। कन्सलटेन्ट फर्म द्वारा महायोजना-2031 के ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया जा चुका है जिसे दिनांक 03.01.2022 में सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बोर्ड की 64वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 64/12 में जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु रखा गया था। मा० बोर्ड द्वारा जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 07.01.22 से 30 दिन तक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु 07 स्थानों पर प्रदर्शनी लगायी गयी थी। जनता की मांग पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु समयावधि दिनांक 18.04.2022 तक बढ़ाई गयी जिसमें ईमेल, साधारण डाक, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को एक पंजिका में दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से सुनवाई होने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा। उक्त कार्यवाही में काफी समय लगने की संभावना है जबकि नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि०, सहारनपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 902/वै०स०/2021-22 दिनांक 07 मार्च, 2022(संलग्नक-4) द्वारा उक्त स्थलों का भूउपयोग शीघ्र परिवर्तन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिससे कि मौके पर परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा सके।

उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आवश्यकता के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक मण्डल द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में दिए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित निर्माणों हेतु -


क- वर्तमान महायोजना-2021 में निम्न भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग “पार्क, प्ले-ग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस” को “कॉमर्शियल”(संलग्नक-5) में परिवर्तित कराये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13(2) के अधीन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु परिचालन पद्धति से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(1) जुबली पार्क के खसरा नं०-959 की 7000.00 वर्ग मी० भूमि (संलग्नक-6)







- (2) दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, सहारनपुर के खसरा नं०-1174 की 8000.00 वर्ग मी० भूमि(संलग्नक-7)
- (ख) नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर के पत्रांक 396/सम्प०अनु०/न०नि०सहा० दिनांक 31.12.2021(संलग्नक-8) एवं पत्रांक 362/सम्प०अनु०/न०नि०सहा०/2021-22 दिनांक 18.12.2021(संलग्नक-9) द्वारा अवगत करायी गयी वैकल्पिक भूमि को "पार्क, प्ले-ग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" में आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड से स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
- (1) मानकमऊ में अमर शहीद इन्टर कालेज के पास स्थित खसरा संख्या 364 भूमि क्षेत्र 7480वर्गमी०(खुदान)
- (2) ग्राम चक हरेटी 80म 6150 वर्गमीटर (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा सं० 194 क्षेत्र 2560 वर्गमीटर (नवीन परती)


  
(अनिल कुमार मिश्रा)  
अधिशारी अभियन्ता


  
(विजय कुमार सिंह)  
नगर नियोजक

  
(किशुक श्रीवास्तव)  
सचिव


  
(आशीष कुमार)  
उपाध्यक्ष


निर्णय :प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को यथावत् स्वीकृत किया गया।


  
(सी०पी०सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता  
प्रतिनिधि- प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०


  
(रुचिन यादव)  
अधिशारी अभियन्ता  
प्रतिनिधि- प्रबन्ध निदेशक,  
जल निगम, उ०प्र०


(के०मोहन)  
प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
उ०प्र०, लखनऊ।

  
(गोविन्द शुक्ला)  
अपर निदेशक कोषागार, सहा०  
प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग,  
उ०प्र०शासन, लखनऊ।

  
(ज्ञानेन्द्र सिंह)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, सहारनपुर।

  
(आशीष कुमार)  
उपाध्यक्ष  
विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

  
(अखिलेश सिंह)  
जलाधिकारी,  
सहारनपुर।

  
(लोकेश एम०)  
अध्यक्ष/आयुक्त  
विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।